मुख्य अभियंता का कार्यालय,
सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर।
(e-mail-ce.wrd.bhagalpur@gmail.com & mob-7463889269)

भाड़े पर वाहन लेने हेतु अल्पकालीन पुनर्कोटेशन आमंत्रण सूचना सं0 (NIQ)-03/2025-26

पत्रांकः—1/1—10065/2025— /भागलपुर, दिनांक

एतद् द्वारा सर्वसधारण को सूचित किया जाता है कि मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के कार्यक्षेत्र अन्तर्गत स्थल निरीक्षण तथा अन्य सरकारी कार्यो के निष्पादन हेतु वित्तीय वर्ष 2025—26 के दौरान 01 (एक) अदद् वातानुकूलित (MAHINDRA SOCRPIO N) (चालक सहित) आपूर्ति हेतु निम्नांकित शर्तो के अधीन इच्छुक वाहन मालिकों/ फर्मो से कोटेशन आमंत्रित किया जाता है ।

01. कोटेशन आमंत्रण की तिथि :— दिनांक 12.03.2026
02. कोटेशन प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय :— दिनांक 28.03.2026 को अपराह्न 3:00 बजे तक
03. कोटेशन प्राप्ति का स्थान :— मुख्य अभियंता का कार्यालय, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर । (मूहर बंद लिफाफा में)
04. कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय :— दिनांक 28.03.2026 को अपराह्न 3:30 बजे तक
05. विज्ञापनदाता का नाम एवं पता :— मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर।

कोटेशन की तकनीकी शर्तें

01. वाहन का वैध वाणिज्यिक निबंधन प्रमाण पत्र, अद्यतन प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पी0यू0सी0) अधतन रोड टैक्स, अधतन फिटनेस प्रमाण पत्र तथा वाहन का वैध इंशयोरेस कोटेशन के साथ समर्पित किया जाना होगा।
02. वाहन मालिक का आधार नम्बर, पैन नम्बर एवं जी0एस0टी0 नम्बर कोटेशन के साथ समर्पित किया जाना होगा।
03. वाहन चालक के पास अधतन एवं वैध व्यवसायिक ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए।
04. कोटेशनदाता को वित्तीय दर निम्नांकित प्रपत्र में उद्धरित करना होगा —

क्रम संख्या	वाहन का प्रकार	ईंधन रहित मासिक भाड़ा का दर (सभी करो यथा जी0एस0टी0, आई0टी0 सहित)

नियम एवं शर्तें

01. भाड़े पर वाहन दिनांक 01.04.2026 से 31.03.2027 तक रखने के लिए एकरारनामा किया जाएगा तथा संतोषजनक सेवा रहने पर अगले एक साल के लिए एकरारित दर पर ही अवधी विस्तार किया जा सकता है।
02. वाहन का मॉडल 2022 के पूर्व का नहीं होना चाहिए एवं वाहन अच्छे हालत में होना चाहिए।
03. वाहन मालिक / फर्म का वैध पैन एवं जी0एस0टी0 नम्बर होना चाहिए।
04. वाहन प्रदाता के फर्म होने की स्थिति में यह मोटर वाहन अधिनियम एवं अन्य सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत निबंधित होना चाहिए।
05. वाहन का दैनिक रख—रखाव (चालक सहित) दैनिक साफ सफाई एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया आदि उपलब्ध कराना इत्यादि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा किया जायेगा।
06. वाहन चालक का मानदेय, भुगतान, आवासन एवं भोजन आदि का व्यवस्था वाहन मालिक/फर्म की होगी ।
07. वाहन का वैध प्रमाण पत्र प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पी0यू0सी0) रोड टैक्स फिटनेस प्रमाण पत्र तथा इंश्योरेंस आदि मोटर अधिनियम के अनुसार अधतन रखने की जिम्मेवारी वाहन मालिक/ फर्म की होगी।
08. नियमानुकूल सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क अदेयता की जिम्मेवारी वाहन मालिक/ फर्म की होगी।

09. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए।

10. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेवारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।

11. वाहन के उपयोग के विरूद्ध मात्र मासिक किराया (ईंधन रहित) देय होगा।

12. वाहन के उपयोग के लिए लौगबुक का संधारण वाहन मालिक की जवाबदेही होगी, जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगें, जिसके आधार पर वाहन का मसिक किराया ईंधन रहित भुगतान किया जायेगा ।

13. जिला नजारत उप समाहर्त्ता, भागलपुर द्वारा MAHINDRA SOCRPIO अथवा समकक्ष के लिए रू0 33500.00 (तैंतीस हजार पांच सौ) मात्र प्रतिमाह स्वीकृत मासिक किराया दर के बराबर या न्यूनतम उद्धृत दर के कोटेशनदाता के साथ रू0 1000.00 (एक हजार) मात्र के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा ।

14. आवश्यकतानुसार वाहन का उपयोग दिन एवं रात्रि में किया जा सकता है, तथा सरकारी कार्य निष्पादन के क्रम में वाहन मुख्यालय से बाहर जा भी सकता है एवं रह भी सकता है। इस हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क/ किराया का दावा मान्य नहीं होगा।

15. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/ फर्म द्वारा निजी या अन्य व्यावसायिक कार्यो में नहीं किया जायेगा ।

16. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा।

17. वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दूसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उस दिन का भाड़े का भुगतान दो गुणे दर से कटौती कर ली जाएगी।

18. वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि0मी0 प्रति लीटर में से जो भी अधिक हो मान्य होगा।

19. आमंत्रित कोटेशन को बिना बताये रद्द या अस्वीकार किये जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा ।

20. संबंधित मद मे आवंटन उपलब्ध रहने की स्थिति में ही भुगतान का दावा मान्य होगा।

21. वाहन मालिक/फर्म का जी0एस0टी0 नम्बर चालू हालत (एक्टिव) रहने की स्थिति में ही भुगतान किया जायेगा ।

22. नियमानुसार जी0एस0टी0 एवं इन्कम टैक्स की कटौती भुगतान की जाने वाली राशि से कर ली जायेगी।

23. इच्छुक वाहन मालिक/फर्म उक्त कमांक 1 से 21 तक शर्तो को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) एवं कमांक 03,04,07 एवं 09 से संबंधित कागजातों की सत्यापित प्रति के साथ निर्धारित प्रपत्र में अपना कोटेशन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित करेंगें।

24. कोटेशन खोलने की निर्धारित तिथि को कोटेशन खोले जाने के समय वाहन मालिक / फर्म या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेगे। अनुपस्थित रहने की स्थिति में बाद में उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

25. सभी वांछित कागजात सही पाये जाने पर एवं एक से अधिक समान न्यूनतम् दर के कोटेशन प्राप्त होने पर दिनांक–28.03.2026 को अपराह्न 04.00 बजे वैद्य कोटेशन दाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म का चयन किया जाएगा। वाहन मालिक/ फर्म या उनके प्रतिनिधि उपस्थिति/ अनुपस्थिति में लॉटरी किया जायेगा। इस संबंध में बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा।

विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय अवधि में अधोहस्ताक्षरी अथवा कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है ।

मुख्य अभियंता,
सिंचाई सृजन,
जल संसाधन विभाग, भागलपुर।

पत्रांकः–1 / 1–10065 / 2025– 931 / भागलपुर, दिनांक -12.03.2026

प्रतिलिपिः– जनसम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना / कार्यपालक अभियंता (आई0टी0), आई0टी0 सेन्टर, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं लोकप्रिय राष्ट्रीय / स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु समर्पित।

अनु0–यथोक्त्।

12/03/2026

मुख्य अभियंता,
सिंचाई सृजन,
जल संसाधन विभाग, भागलपुर।

12/03/2026